राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।

क्रमांकः— मुसप्र/आय/बो.मी.—217.7/2012/901 दिनांकः— 12-10-2012

कार्यालय आदेश

विषय :— मण्डल में विभिन्न श्रेणी के आवासों के लिए पंजीकरण हेतु प्रचलित आय वर्ग में परिवर्तन करने बाबत्।

मण्डल में पूर्व में पंजीकरण हेतु निर्धारित वार्षिक आय के कम में संचालक मण्डल की 211 वीं बैठक के बिन्दु संख्या 211.23 में लिए गयें निर्णयानुसार परिवर्तित वार्षिक आय कार्यालय आदेश कमांक मुसप्र/बो.मी.—211.23/2010/1307 दिनांक 11.08.2010 के द्वारा निर्धारित की गयी थी।

दिनांक 28.09.2012 को आयोजित संचालक मण्डल की 217 वीं बैठक के निर्णय बिन्दु संख्या 217.7 में लिए गये निर्णयानुसार पंजीकरण हेतु वार्षिक आय सीमा निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :—

क्र. सं.	आय वर्ग	वर्तमान में निर्धारित वार्षिक आय सीमा	परिवर्तित वार्षिक आय सीमा
1.	आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग	60,000/— तक	**1,00,000/— तक**
2.	अल्प आय वर्ग	60,001/— से 1,50,000/— तक	**1,00,001/— से 2,50,000/— तक**
3.	मध्यम आय वर्ग—अ	1,50,001/— से 2,40,000/— तक	**2,50,001/— से 4,50,000/**
4.	मध्यम आय वर्ग—ब	2,40,001/— से 3,60,000/— तक	**4,50,001/— से 6,00,000/— तक**
5.	उच्च आय वर्ग	3,60,001/— एवं अधिक	**6,00,001/— एवं अधिक**

अवैतनिक श्रेणी के आवेदको द्वारा आवेदन फार्म के साथ दिये जाने वाले आय के शपथ पत्र के स्थान पर मध्यम आय वर्ग 'अ' से उच्च आय वर्ग तक के शहरी क्षेत्र के आवेदकों से आयकर विवरणिका एवं ग्रामीण क्षेत्र के आवेदको से मूल निवास प्रमाण पत्र प्राप्त किया जावे तथा आय हेतु उनके स्वामित्व की उपलब्ध भूमि से प्राप्त होने वाली आय को आधार माना जावे।

(नीरज के. पवन)
आवासन आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. निजी सचिव—अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव—आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. निजी सहायक—मुख्य अभियन्ता/वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, रा0आ0म0, जयपुर।
5. निजी सहायक— निदेशक विधि/मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, रा0आ0म0, जयपुर।
6. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता—प्रथम/द्वितीय/तृतीय रा0आ0म0, जयपुर।
7. उप आवासन आयुक्त, वृत .... राजस्थान आवासन मण्डल
8. आवासीय अभियन्ता, खण्ड .... राजस्थान आवासन मण्डल
9. रक्षित पत्रावली।

मुख्य सम्पदा प्रबन्धक

F:\Hanuman Ji\letter H.rtf